संख्या-41/2025/1057/77-6-2025/1908086

प्रेषक,

आलोक कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
पिकप।

औद्योगिक विकास अनुभाग-6 **लखनऊ : दिनांक 24-05-2025**

विषयः अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति-2012 के अंतर्गत मेसर्स आर.सी.सी.पी.एल. प्रा0लि0, रायबरेली (मध्यांचल) को निर्गत एल.ओ.सी. में संशोधन के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-पिकप/मेगा/ई0सी0/1035, दिनांक 05.12.2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो मेसर्स आर.सी.सी.पी.एल. प्रा0लि0, रायबरेली (मध्यांचल) को निर्गत एल.ओ.सी. में संशोधन के संबंध में है।

2- प्रश्नगत औद्योगिक इकाई को निर्गत लेटर आफ कम्फर्ट में अर्ह उत्पाद Pozzolana Portland Cement (PPC) इंगित किया गया है जबकि कम्पनी द्वारा Ordinary Portland Cement (OPC) का उत्पादन/विक्रय भी किया जा रहा है।

3- उपर्युक्तानुसार प्रस्तुत प्रकरण में सम्यक विचारोपरान्त मेसर्स आर.सी.सी.पी.एल. प्रा0लि0, रायबरेली (मध्यांचल) को निर्गत एल.ओ.सी. में उल्लिखित Pozzolana Portland Cement (PPC) के साथ Ordinary Portland Cement (OPC) को अर्ह उत्पाद मानते हुए पूर्व में निर्गत एल.ओ.सी. को तदनुसार संशोधित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

4- अत: इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति-2012 में वर्णित प्राविधानों एवं शासन के पत्र संख्या-64/77-6-2025/6099/96/2023/1705525 में अंकित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन उक्त प्रस्तर-4 में लिये गये निर्णय के क्रम में आवश्यक अग्रेतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

आलोक कुमार
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
3. निजी सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0 शासन।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

4. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त, न्याय, नियोजन, एमएसएमई तथा राज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
5. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, इन्वेस्ट यू0पी0।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

रामध्यान रावत

उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।